न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :—अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 15/2022

उनवान

लादूराम पुत्र सवाई जाति जाट निवासी ग्राम हरपुरा, तहसील— सरवाड, अजमेर
——प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1 नौरत पुत्र चतुर्भज जाति जाट निवासी ग्राम गादेरी, नसीराबाद
2. मैनेजर, बैंक आर्फ बडौदा शाखा बीर जिला अजमेर
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
——अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन
2 अनुपस्थित, 3 जरियें तहसीलदार नसीराबाद

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955

दिनांक :— 12.12.24

—: आदेश :—

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश का निवेदन किया कि ग्राम व प0म0 गादेरी की निम्न आराजी प्रार्थी की कयशुदा खातेदारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

हाल खसरा नम्बर		वंर्किग खसरा नम्बर	
106/2660	0.11	85 मिन	0—10—10
105/2861	0.32		
106	0.15	86	3—1—0
107	0.55		

उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 85 रकबा 2—10—10 के हालल खसरा नम्बर 106/2660 रकबा 0.11, 105/2861 रकबा 0.32 व वंर्किग खसरा नम्बर 86 रकबा 3—1—0 के हाल खसरा नम्बर 106/0.15, 107/0.55 बने है तथा वर्तमान में हिस्साकस्सी के दौरान बने हाल खसरा नम्बर 105/0.04, 105/2897 रकबा 0.04, 105/2861 रकबा 0.06, 3189/105 रकबा 0.02, 3179/105 रकबा 0.02, 3155/2860 रकबा 0.04, 105/2659 रकबा 0.08, 3196/2861 रकबा 0.22 का अंकन विकय पत्र अनुसार प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज करने के बजाय हाल खसरा नम्बर 105/2861 रकबा 0.06, 3189/105 रकबा 0.02, 3179/105 रकबा 0.02, 105/2659 रकबा 0.08 को सिवायचक दर्ज कर दिया। तथा पुराने खसरा नम्बर 86 रकबा 3—1—0 में से प्रार्थी द्वारा हाल खसरा नम्बर 106 रकबा 0.15 व 107 रकबा 0.55 में से कमशः 0—8—0, 0—8—0 बिस्वा भूमि जरियें विकय पत्र कय की थी। उक्त विकय पत्र का नामान्तकरण वंर्किग जमाबंदी [illegible] किन्तु हाल खसरा नम्बर 106 रकबा 0.11 व 106/2660 रकबा 0.06 व 10[illegible] रकबा [illegible]48 भूमि में से 0.12 (16 बिस्वा) भूमि को अप्रार्थीगण संख्या 1 के न[illegible] कर दिया। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा वादग्रस्त सम्पदा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 प्रकरण में अनपुस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 85 मिन रकबा 0–13–0 व वंर्किग खसरा नम्बर 86 रकबा 4–6–0 की भूमि जिसके चौसाला खसरा नम्बर 61 मिन है की आराजी अन्य भूमि के साथ अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन अधिकारी के द्वारा राजस्व कैम्प में दिनांक 12.07.1984 को आवंटन की गयी। आवंटन आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 12.07.1984 को स्वीकार किया गया। तथा नामान्तकरण संख्या 08 दिनांक 03.06.1995 के अनुसार गैर खातेदारी से खातेदारी स्वीकार की गयी। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 106/0.11 व 107/0.48 राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 85 रकबा 2–10–10 में से रकबा 0–12–0 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित की गयी। वंर्किग खसरा नम्बर 105/281 की भूमि सिवायचक है। अप्रार्थी संख्या 1 के परिवारजन ने अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी पैतृक भूमि के विभाजन का आश्वासन देकर आराजी मुतनाजा का विभाजन भी करवा लिया जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 को होने पर प्रथम अपील न्यायालय श्रीमानन राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष पेश की उक्त अपील स्वीकार कर विभाजन के आदेश को निरस्त किया जा चुका है। अतः उक्त आदेश के अनुसार प्रार्थी का विक्रय पत्र स्वयमेव ही निरस्त हो चुका है। प्रार्थी को उक्त तथ्यों की जानकारी होने के बाद भी मिथ्या तथ्यों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किंया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पंत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :–

प्रार्थी का कथन है कि आराजी मुतनाजा के वंर्किग खसरा नम्बर 86 मिन में से 0–16–0 व वंर्किग खसरा नम्बर 85 में से 2–0–0 व 0–10–10 भूमि उसके द्वारा जरियें विक्रय पत्र क्रय की है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार उक्त आराजी का नामान्तकरण भी विक्रेता के स्थान पर प्रार्थी के नाम अंकित हो गया था। किन्तु राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 के व सिवायचक खाते में दर्ज कर दी गयी। किन्तु अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में अंकित कथन व प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के आदेश से दर्ज हुयी है। तथा नामान्तकरण संख्या 57 दिनांक 04.06.2009 द्वारा हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित की गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम उक्त भूमि हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज नही होकर न्यायालय के आदेश से अंकित हुयी है। प्रार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कोई चाराजोही नही की है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रार्थी के विक्रय पत्र निष्पादन की दिनांक के बाद जारी किया गया है। अतः उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के [illegible] को प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण नही माना जा सकता है। आराजी मुतनाजा की आंशि[illegible] सिवायचक खातें में दर्ज है। जिनके त्रुटिपूर्ण होने बाबत तथ्यों का [illegible] ही होगा। अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुतनाजा के जिन [illegible] है उस आराजी पर बिना किसी आधार के उसे पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। प्रथम दृष्टया मामला

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:45 IST
Reason: SelfAttested

—3

सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है कि उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नही ? प्रार्थी उक्त प्रकरण अपने पक्ष में सिद्व करने में असफल रहा है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 नाम न्यायालय के आदेश से विधिक प्रकिया की पालना करके दर्ज की गयी है। आंशिक भूमि सिवायचक दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है। रेकार्डेड खातेदार को पाबंद नही किया जा सकता है। दोनो ही पक्ष आराजी मुतनाजा पर अपना–अपना कब्जा होने का कथन करते है जिसका निर्णय मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा।ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किये जाने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की संभावना है यह प्रार्थी द्वारा सिद्व नही किया जा सका है।

3. सुविधा का संतुलन :–

न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के विरूद्व है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होता है।

आदेश :–अतः ग्राम गादेरी की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:45 IST
Reason: SelfAttested